

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

**निबंधित**

श्री रजनीश लाल (बि0प्र0से0-2561/1999),  
वरीय उप समाहर्ता, कैमूर।  
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेरिया बरियारपुर, बेगूसराय)

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप चेरिया बरियारपुर प्रखंड (जिला-बेगूसराय) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
902.3236	₹ 1236183.27

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 902.3236 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वसभाजन,  
11/4/15  
(प्रदीप कुमार)  
सचिव

dist	block	bdo_name	R_Food	Amt
बेगूसराय	बछवाड़ा	मो० मोबिन अली अंसारी (कोटि क्र०- 459/11)	312.1355	427625.65
बेगूसराय	बखरी	मो० शहादत हुसैन (कोटि क्र०- 1407/04, 2553/99)	172.78	236708.6
बेगूसराय	बरौनी	श्री भूपेन्द्र यादव (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-2183/1999)	4918.74	6738673.8
बेगूसराय	बरौनी	श्री आर० लक्ष्मण (आई०ए०एस०)	4918.74	6738673.8
बेगूसराय	बरौनी	श्री उपेन्द्र कुमार (बि०प्र०से०- 2338/99)	4918.74	6738673.8
बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर	श्री शम्भु कुमार (बि०प्र०से०- 2568/99)	902.3236	1236183.27
बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर	श्री सियाराम सिंह (बि०प्र०से०- 2534/99, 1392/04)	902.3236	1236183.27
बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर	श्री रजनीश लाल (बि०प्र०से०-2561/1999)	902.3236	1236183.27
बेगूसराय	चेरिया बरियारपुर	श्री मनोज कुमार (बि०प्र०से०-1507/2004)	902.3236	1236183.27
बेगूसराय	छौराही	श्री शिवशंकर यादव (बि०क०से०)	551.55	755623.5
बेगूसराय	छौराही	श्री चेतनारायण राय (बि०प्र०से०-1488/2004)	551.55	755623.5
बेगूसराय	डंडारी	श्री प्रभु दास (बि०प्र०से०-2301/1999)	981.22	1344271.4
बेगूसराय	डंडारी	श्री ब्रज किशोर चौधरी	981.22	1344271.4
बेगूसराय	नावकोठी	श्री रमेन्द्र कुमार (बि०प्र०से०- 1381/2008)	0.0494	67.7
बेगूसराय	शाम्हो अकहा कुरहा	श्री सजीव कुमार (बि०प्र०से०- 2363/99)	103.1509	141316.7



